



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,
“खाद्य भवन”, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक 2067 दिनांक 12.03.2021 द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर रथायी रथापना समिति के अनुशंसा के आलोक में कॉलम 2 में अंकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से रंचिया के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 7 में अंकित पद हेतु पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम 8 में अंकित रथान के लिए पदरथापित किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पी०पी०३००/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अविलम्ब पदस्थापित रथान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने एवं सेवा निवृति विभाग से प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा। नवपदरथापन रथान पर योगदान की तिथि से मानदेय आदि देय होगा।

क्र०	चयनित अभ्यर्थी का नाम	सेवानिवृति का पद	गृह जिला	सेवानिवृति का कार्यालय	कोटि	पदनाम जिसके विरुद्ध चयन किया गया है।	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनिल प्रसाद	उपमंडल अभियंता	पटना	बी०एस०एन ०एन०, गया	सामान्य	सहायक अभियंता	उत्तरी बिहार कार्य प्रमंडल, बि० रा०खा०नि०

- (i). अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के राय नियोजित की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में अथवा रोवा निवृत कार्यालय से कोई प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गङ्गबङ्गी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
- (ii). सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब नवपदस्थापित रथान पर आपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- (iii). नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में ननजुड़िसिएल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv). सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापनक 10000 दिनांक 10.7.15 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- (v). उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विरतार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बंगाल कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
- (vi). अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा गान्धी नहीं होगा।
- (vii). संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही विरुद्ध नियमित नियुक्ति(यथा सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति)के उपरान्त पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (viii). इनके द्वारा भविष्य में की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल-अचल संपत्ति से की जायेगी।

७५४८

- (ix). अनुबंध की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजित नहीं होता है तो वैरी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किरी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- (x). इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अधिग्रहण सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेश एक मुश्त मुगतान करना होगा। मुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत वसूलनीय होगी।
आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

40/-

उप महाप्रबंधक, प्रशासन।

झापांक-3:02:21 4:01:20 4896

दिनांक - 10/7/2021

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/सतर्कता पदाधिकारी/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर/कट्रॉल रूम प्रभारी को निगम के बेवराईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.3.9

उप महाप्रबंधक प्रशासन।